



# सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय

## उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

### सूरजकुण्ड, बी-60, गोरखपुर

E-Mail- avp.gkp@gmail.com



पत्र संख्या

/ स० प्र० / गोरखपुर

दिनांक-

### प्रदेशन पत्र

सेवा में,

श्री .....

उप आवास आयुक्त (वा०जो०) के पत्रांक .....  
दि० ..... द्वारा स्वीकृत

महोदय/ महोदया,

आपके सहमति पत्र के क्रम में दिनांक ..... को आवंटन / नीलामी पद्धति से जनपद-मऊ की प्रधानमंत्री आवास योजना (अफोर्डेबल-हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप) में आपको ..... आय वर्ग भवन/फ्लैट सं०..... किश्त कय पद्धति पर परिषद द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के अधीन आवंटित किया गया है जिसके विरुद्ध दिनांक ..... तक निम्नलिखित विवरण के अनुसार भुगतान अपेक्षित है-

(क)	सम्पत्ति का क्षेत्रफल- ..... वर्गमी०	(ख) विविध शुल्क
1.	आवा० भवन/फ्लैट का आफर मूल्य रू०- ..... प्रतिवर्गमीटर	1. विलेख निष्पादन व्यय रू०
3.	10 प्रतिशत कार्नर शुल्क रू०- -	2. जल/सीवर संयोजन व्यय रू०
4.	भूखण्ड का कुल मूल्य रू०-	3. अग्रिम जल शुल्क रू०-
5.	जमा पंजीकरण धनराशि रू०-	4. साइट प्लान चार्ज रू० -
(ग)	नकद कय पर भुगतान योग्य धनराशि रू० -	5. विज्ञापन व्यय रू०-
(घ)	आधा नकद/किश्त पर भुगतान योग्य धनराशि रू०-	6. सेवाकर-
		7. विविध शुल्कों का योग-

1. अपेक्षित शेष पंजीकरण धनराशि रू०-
2. शेष धनराशि निकटतम रू० 100.00 के पूर्णांक में रू०-
3. अवशेष मूल्य रू०- ..... पर ..... प्रतिशत ब्याज लगाकर बनाई गई ..... मासिक/त्रैमासिक/छमाही किश्तों में से प्रथम किश्त जो दिनांक- ..... से देय होगी रू०-.....  
कुल जमा योग्य धनराशि रू०-..... दि० ..... तक जमा करना होगा।

नोट-

1. किसी भी देय धनराशि विलम्ब से भुगतान करने पर दिनांक ..... से ..... प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज देय होगा।
2. न्यायालय के आदेश से अथवा अन्य किसी कारणों से उक्त मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो तदानुसार आपको भुगतान करना होगा। उपरोक्त विवरण के अंश (ग) की धनराशि अथवा (घ) में अंकित धनराशि रू०-..... एच.डी.एफ.सी. बैंक, मऊ में परिषद खाता सं०-50100098178879 तथा (ख) की धनराशि रू०-..... को एच.डी.एफ.सी. बैंक, मऊ में परिषद खाता सं०-50100098178879 में दिनांक-..... तक अवश्य जमा करनी होगी। आवन्टी यदि उक्त वांछित धनराशि जमा न करने तथा इस पत्र के निर्गत होने से 01 माह के अंदर आवंटन निरस्त कराने की प्रार्थना करता है तो पंजीकरण के निर्धारित धनराशि रू०- ..... का 20 प्रतिशत जब्त करते हुए आवंटन एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। परन्तु जो आवन्टी न तो निर्धारित तिथि तक धनराशि जमा करते हैं और न ही आवंटन पत्र के निर्गत होने की तिथि से 1 माह के अंदर कोई लिखित सूचना देते हैं उन्हें एक पंजीकृत नोटिस आगामी 15 दिन के अंदर वांछित धनराशि जमा करने हेतु प्रेषित किया जाएगा और यदि फिर भी आवन्टी वांछित धनराशि नोटिस निर्गत होने के 15 दिन के अंदर जमा नहीं करते हैं तो निर्धारित वर्तमान पंजीकरण धनराशि रू० ..... कटौती करते हुए इनका पंजीकरण तथा प्रदेशन निरस्त कर दिया जाएगा एवं आवंटित सम्पत्ति अन्य को आवंटित कर दी जाएगी। परिषद से मानचित्र स्वीकृत कराकर व्यवसायिक भूखण्ड पर निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए अनुमन्य अवधि प्रदेशन पत्र की निर्गत तिथि से 05 वर्ष है।  
सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु नीचे अंकित सभी प्रपत्र दिनांक ..... तक इस कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा रू० 35.00 प्रतिदिन की दर से संपूर्ण प्रपत्र जमा की तिथि तक विलम्ब शुल्क देय होगा। कब्जा पत्र निर्गत होने पर 15 दिनों के अंदर भौतिक कब्जा न लेने पर रू० 35.00 प्रतिदिन की दर से कब्जा लेने की तिथि तक का रखरखाव शुल्क देय होगा। डाक विलम्ब हेतु परिषद उत्तरदायी नहीं होगी।

भवदीय

(सुभाष चन्द्र मौया)  
सम्पत्ति प्रबन्धक

आवन्टी द्वारा दिनांक ..... तक कार्यालय में जमा करने वाले प्रपत्रों की सूची-

- जमा धनराशि की चालान की चतुर्थ प्रति मूलरूप में जमा करें।
- रू० ..... या उप निबंधन कार्यालय के आदेशानुसार देय तथा रू० 50.00-50.00 का 2 नग सादा नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर प्रस्तुत करें।
- रू० 10.00 का 2 नग स्टैम्प पेपर।
- 05 नग फोटोग्राफ के अतिरिक्त राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित अपने 2 नग हस्ताक्षरित फोटोग्राफ जिस पर उक्त अधिकारी द्वारा आपका पता एवं हस्ताक्षर अंकित हो, प्रस्तुत करें।
- साइट प्लान की 4 प्रतियां कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण इकाई-आजमगढ से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
- अधोहस्ताक्षरी का 5 नग फोटो।

सम्पत्ति प्रबन्धक